(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 105 / 2023

पंजीकरण संख्या :– 2023 / 209

बउनवान

बद्रीलाल पुत्र खेमचंद जाति रेगर निवासी बंजारी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 2757 दर्ज दिनांक 05.07.2018 वाके ग्राम छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 08.07.2024

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 2757 दिनांक 05.07.2018 वाके ग्राम छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बाराँ से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 11.10.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जो अप्राप्त है। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील मेमो के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि रेस्पोडेन्ट को उक्त इंतकाल नंबर 2757 खोलते समय मात्र जरिये संपरिवर्तन में बद्रीलाल पुत्र खेमचंद की 1.06 बीघा गै.मु.आबादी के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ के साथ खोलना चाहिए था परंतु रेस्पोडेन्ट ने उक्त इंतकाल खोलते समय जरिये संपरिवर्तन में बद्रीलाल पुत्र खेमचंद की 1.06 बीघा भूमि गे.मु.आबादी खाता सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ के साथ इंतकाल नंबर 2757 खोल दिया जो वर्तमान में नये खसरा नंबर 1934 / 1159 रकबा 0.2104 हेक्टर खाता राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गया जो रेस्पोडेन्ट की विधिक भूल है। रेस्पोडेन्ट ने मनमाने तौर पर अपीलार्थी के खातेदारी की आराजी जिसे अपीलार्थी ने आवासीय में संपरिवर्तित करवाई है, उसे इंतकाल संख्या 2757 से खाता सरकार के नाम दर्ज करने में कानूनी भूल की है। उक्त वर्णित खाता सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश के कारण अपीलार्थी की उक्त आराजी राज्य सरकार के खातेदारी में दर्ज हो गई है तथा अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार खसरा नंबर 1362 / 1139 जिसके नये खसरा नंबर 1934 / 1159 रकबा 0.2104 हेक्टर पर समाप्त हो गये। अब न तो अपीलार्थी उक्त आराजी [illegible] अपीलार्थी उक्त आराजी का सरकारी व निजी आवश्यकता हेतु उपयोग कर सकता है जिसस[illegible]धिक अधिकारों का हनन हुआ है। उक्त इंतकाल संख्या 2757 का अपीलार्थी [illegible] 2023 को हुआ। जब अपीलार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त की [illegible] अपीलार्थी ने उक्त इंतकाल की नकल हेतु दिनांक 10.10.2023 को पटवारी [illegible] के यहां आवेदन प्रस्तु[illegible]। इस पर अपीलार्थी को दिनांक 10.10.2023 को नकल प्राप्त हुई, इ[illegible]ये जानकारी की तिथि से [illegible] अवधि मध्य स्वीकार फरमाई जावे तथा अपील की प्रस्तुति में एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अलग से पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि इंतकाल संख्या 2757 ग्राम छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां को निरस्त किया जाकर आराजी खसरा नंबर 1362 / 1159 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 1934 / 1159 रकबा 0.2104 हेक्टर गे.मु.आबादी अपीलार्थी के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:52:07 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उक्त इंतकाल नंबर 2757 खोलते समय मात्र जरिये संपरिवर्तन में बद्रीलाल पुत्र खेमचंद की 1.06 बीघा गै.मु.आबादी के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ के साथ खोलना चाहिए था परंतु रेस्पोडेन्ट ने उक्त इंतकाल खोलते समय जरिये संपरिवर्तन में बद्रीलाल पुत्र खेमचंद की 1.06 बीघा भूमि गे.मु.आबादी खाता सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ के साथ इंतकाल नंबर 2757 खोल दिया जो वर्तमान में नये खसरा नंबर 1934/1159 रकबा 0.2104 हेक्टर खाता राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गया जो गलत है। इसको पुनः भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए अपीलांट के खाते में दर्ज किया जाना चाहिए था।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेज पर मनन किया गया जिससे पाया गया कि प्रकरण में उक्त इंतकाल नंबर 2757 खोलते समय मात्र जरिये संपरिवर्तन में बद्रीलाल पुत्र खेमचंद की 1.06 बीघा गै. मु.आबादी के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ के साथ खोलना चाहिए था परंतु रेस्पोडेन्ट ने उक्त इंतकाल खोलते समय जरिये संपरिवर्तन में बद्रीलाल पुत्र खेमचंद की 1.06 बीघा भूमि गे.मु.आबादी खाता सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ के साथ इंतकाल नंबर 2757 खोल दिया जो वर्तमान में नये खसरा नंबर 1934/1159 रकबा 0.2104 हेक्टर खाता राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गया जो गलत है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 2757 दिनांक 05.07.2018 वाके ग्राम छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, छीपाबड़ौद को प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को सुना जाकर विधिक प्रावधानों के अनुसार नामांतरण के संबंध में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **08.07.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:52:07 IST
Reason: SelfAttested